

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर  
क्रमांक : एफ20(101)418आयो/आकाशि/2010-11/461

दिनांक : 12/6/2012

कार्यालय-आदेश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण 2012-13 में 5 स्नातकोत्तर एवं 10 स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ किये जाने की संभावना है, अतः निम्नानुसार महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके सामने अंकित विषयों के सम्बन्ध में प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दें, साथ ही उनसे संबंधित विश्वविद्यालयों में सम्बद्धता हेतु कार्यवाही करें :-

क्र०सं०	महाविद्यालय का नाम	विषय	स्तर
1	राजकीय महाविद्यालय, सागवाडा	भूगोल	स्नातक
2	राजकीय महाविद्यालय, सीकर	भूगोल	स्नातक
3	राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर	गृह विज्ञान	स्नातक
4	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू	भूगोल	स्नातक
5	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	उर्दू	स्नातक
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा	भूगोल	स्नातक
7	राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा	अंग्रेजी साहित्य	स्नातक
8	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	लोक प्रशासन	स्नातक
9	राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर	भूगोल	स्नातक
10	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी	गृह विज्ञान	स्नातक
11	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा	भूगोल	स्नातकोत्तर
12	राजकीय महाविद्यालय, चुरू	अंग्रेजी साहित्य	स्नातकोत्तर
13	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	लोक प्रशासन	स्नातकोत्तर
14	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	गृह विज्ञान	स्नातकोत्तर
15	राजकीय महाविद्यालय, खैरवाडा	समाजशास्त्र	स्नातकोत्तर

( सुबीर कुमार )  
निदेशक

क्रमांक : एफ20(101)418आयो/आकाशि/2010-11/461-489  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 12/6/2012

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
2. नि.स. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. महालेखाकार, हक एवं लेखा, राजस्थान जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर ।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राज. जयपुर ।
6. उप शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर ।
8. उपशासन सचिव, मोनिटरिंग (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
9. कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/एमएलएस विश्वविद्यालय, उदयपुर/जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर/एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता जारी करने का श्रम करें ।
10. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
11. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राज. जयपुर ।
12. संयुक्त निदेशक, प्रशासन/कार्मिक/कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
13. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
14. मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
15. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ।
16. वरिष्ठ निजी सहायक, संयुक्त निदेशक, पी.एण्ड सी शाखा